



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267495
CG-DL-E-08112025-267495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 2025/कार्तिक 17, 1947

No. 330]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8, 2025/KARTIKA 17, 1947

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2025

फा. सं. एलएफईएस-एलएस11/3/2025-विधायी अनुभाग-आरएसएस.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 2025 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा को सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करती हूँ।

8 नवम्बर, 2025

ह/-
राष्ट्रपति"

पी. सी. मोदी, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2025

F. No. LAFEAS-LS11/3/2025-Legis Sec-RSS.— The following Order by the President dated the 8th November, 2025, is published for general information:-

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 1st December, 2025 at 11.00 A.M.

November 8, 2025

Sd/-
PRESIDENT

P. C. MODY, Secy.-General